“यदि मुझे पेनल्टी नोटिस मिलता है और मैं भुगतान नहीं करता/करती हूँ तो क्या होता है?”

पेनल्टी नोटिस का पूरा भुगतान करने के लिए आपके पास इसके प्राप्त होने से लेकर 42 दिन होते हैं। यदि इस समय के अंदर पूरा भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय अथॉरिटी के लिए ज़रूरी होता है कि वह आपके बच्चे द्वारा अनधिकृत गैरहाज़िरी के मूल अपराध के लिए मैजिस्ट्रेट कोर्ट में क़ानूनी कार्यवाही शुरू करे।

यदि अपराध सिद्ध हो जाता है तो इसके परिणाम–स्वरूप £1,000 तक के जुर्माने और/या कई तरह के निपटारे लगाए जा सकते हैं जैसे कि पेरेन्टिंग ऑर्डर या कम्युनिटी सज़ा। दोषी पाए जाने पर माता/पिता का अपराधिक रिकॉर्ड बन जाएगा।

“यदि मैं पेनल्टी नोटिस का भुगतान कर देता/देती हूँ लेकिन मेरा बच्चा फिर भी स्कूल न जा रहा हो तो क्या मुझ पर मुक़दमा चलाया जा सकता है?”

पेनल्टी नोटिस में शामिल की गई समय अवधि के लिए नहीं, इस संबंध में भुगतान आपकी ज़िम्मेदारी पूरी कर देता है। लेकिन, परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है कि पेनल्टी नोटिस में शामिल नहीं की गई अनधिकृत गैरहाज़िरी की और अधिक समय अवधियों के लिए मुक़दमे पर विचार किया जाए। यदि ऐसा होता है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे के स्कूल और सहायता एजेंसियों, जैसे कि एज्युकेशन वेल्फ़ेयर, के साथ निकटता से मिल कर काम करें।

“यदि मेरा बच्चा नियमित रूप से स्कूल नहीं जा रहा है तो क्या मुझे मदद मिल सकती है?”

हाँ, यदि आपको अपने बच्चे की हाज़िरी के संबंध में मदद की ज़रूरत हो तो आपके बच्चे का स्कूल और एज्युकेशन वेल्फ़ेयर सर्विस आपको सलाह और सहायता देंगे। यदि आपको अपने बच्चे की हाज़िरी सुरक्षित करने के बारे में कोई भी चिंताएँ हों, तो यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि आप अवसर मिलते ही स्कूल से या एज्युकेशन वेल्फ़ेयर सर्विस से बात करें।

ALBANIAN

Nëse anglishtja nuk është gjuha juaj amtare dhe keni nevojë për një përkthim, ne mund t'ua sigurojmë atë.

BENGALI

ইংরেজী আপনার মাতৃভাষা না হলে এবং আপনার কোন অনুবাদের প্রয়োজন হলে আমরা তা প্রদান করতে সক্ষম।

CHINESE

如果英文不是您的第一語言，而您需要翻譯的話，我們可以爲您安排。

GUJARATI

જો તમારી પહેલી ભાષા અંગ્રેજી ન હોય અને તમને ભાષાંતરની જરૂર હોય તો અમે તમને તે આપી શકીએ છીએ.

HINDI

यदि अँग्रेज़ी आप की पहली भाषा नहीं है और आप को अनुवाद की आवश्यकता है तो यह हम आपको प्रदान कर सकते हैं

KURDISH

Heke îngilîzî zimanê we yê yekem nîne û pêwîstîya we bi wergêr heye, em dikarin yekî ji we re bibînin

POLISH

Jeżeli język angielski nie jest Twoim językiem ojczystym i wymagasz tłumaczenia, możemy to zapewnić.

PORTUGUESE

Se o Inglês não é a sua língua materna e precisa de uma tradução, nós podemos obtê-la.

PUNJABI

ਜੇਕਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

SOMALI

Haddii Ingiriisku aanu ahayn afkaaga kowaad oo aad u baahan tahay turjumaad, annagaa kuu samayn karra.

URDU

اگر انگریزی آپ کی پہلی زبان نہیں ہے اور آپ کو ترجمہ کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لئے فراہم کر سکتے ہیں۔

VIETNAMESE

Nếu quí vị không thạo Anh văn và cần bản dịch, chúng tôi sẽ giúp quí vị một bản.

एज्युकेशन वेल्फ़ेयर सर्विस

उत्तरी टीम
फ़ोन: 0117 3533686
फ़ैक्स: 0117 3533688

दक्षिणी टीम
फ़ोन: 0117 9031660
फ़ैक्स: 0117 9031684

BRISTOL CITY COUNCIL

ब्रिस्टल सिटी काउंसिल
एज्युकेशन वेल्फ़ेयर सर्विस

स्कूल में हाज़िरी: माता–पिताओं और देखभाल करने वालों को क्या जानने की ज़रूरत है

स्कूल में हाज़िरी
प्रत्येक दिन महत्त्वपूर्ण होता है
अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने में अपने बच्चे की सहायता करें

“हर रोज़ उपस्थित क्यों रहना चाहिए?”

स्कूल में अच्छी हाज़िरी आपके बच्चे को सफलता का अवसर देती है और जीवन के लिए कौशल विकसित करने में मदद करती है। जब तक कि बीमारी जैसा कोई टाला न जा सकने वाला कारण न हो, आपके बच्चे को हर रोज़ स्कूल जाना चाहिए।

स्कूल न जाने से छात्र की शिक्षा और उनके ग्रेडों को नुकसान पहुँचता है (अनुसंधान से पता चलता है कि 17 दिन स्कूल न जाने से आम तौर पर GCSE ग्रेड नीचे गिर जाता है), दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती है और छात्र की अपराध की तरफ़ जाने की संभावना बन जाती है।

छात्रों को ख़रीददारी, जन्मदिन या किसी मरम्मत करने वाले की प्रतीक्षा करने जैसे कारणों के लिए कभी भी स्कूल से गैरहाज़िर नहीं रहना चाहिए।

स्कूल से गैरहाज़िर रहने से जीवन के अवसरों पर गंभीर रूप से प्रभाव पड़ता है।

“पेनल्टी नोटिस क्यों जारी किए जाते हैं?”

यदि बच्चा नियमित रूप से स्कूल नहीं जाता है और उसकी गैरहाज़िरी पर स्कूल द्वारा सहमति नहीं दी जाती है (अनधिकृत) तो माता–पिता/देखभाल करने वाले अपराध करते हैं। कुछ मामलों में अनधिकृत गैरहाज़िरी के परिणाम स्वरूप एज्युकेशन ऐक्ट (शिक्षा अधिनियम) 1996 की धारा 444 के अंतर्गत मुक़दमा चलाया जा सकता है।

ऐन्टी सोशल बिहेवियर ऐक्ट (समाज–विरोधी व्यवहार अधिनियम) 2003 द्वारा पेनल्टी नोटिसों को मुक़दमे के विकल्प के रूप में शुरू किया गया था। पेनल्टी नोटिस में अदालत में पेश होने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका लक्ष्य होता है हाज़िरी में सुधार लाना।

“पेनल्टी नोटिस कितने का होता है?”

यदि 28 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाता है तो £50. यदि इसके बाद लेकिन 42 दिनों के अंदर भुगतान कर दिया जाता है तो £100.

“इनका इस्तेमाल कब किया जाएगा?”

यदि स्कूल द्वारा आपके बच्चे के स्कूल से गैरहाज़िर रहने के लिए पहले से अनुमति दे दी जाती है या आपके स्पष्टीकरण को स्वीकार कर लिया जाता है तो उनकी गैरहाज़िरी ‘अधिकृत’ है। बाकी सभी गैरहाज़िरियाँ ‘अनधिकृत’ होती हैं।

पेनल्टी नोटिसों का इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब गैरहाज़िरी अनधिकृत हो, जैसे कि जब:

- कोई माता/पिता सत्र के दौरान बिना अधिकृति के अपने बच्चे को छुट्टी पर ले गए हों, विशेष रूप से जब इसके परिणाम–स्वरूप छात्रों की परीक्षा, अर्थात् SATs और GCSEs छूट जाए।
- सकूल से भागने के बाद स्कूल में की गई जाँच से पता चलता है कि उस समय छात्र की गैरहाज़िरी ‘अनधिकृत’ थी।
- छात्र नियमित रूप से रजिस्टर बंद हो जाने के बाद देर से स्कूल आते हैं।
- पिछले 10 सप्ताह की अवधि के अंदर छात्र की 8 या इससे अधिक अनधिकृत गैरहाज़िरियाँ हैं।

“यदि मेरा बच्चा स्कूल से भागता है तो मुझे क्या करना चाहिए?”

यदि आपका बच्चा स्कूल से भागता है तो आप निम्नलिखित कर सकते हैं:

- इसका कारण पता करने के लिए उनसे बात करें।
- स्थिति पर विचार करने के लिए और समाधान ढूँढ़ने के लिए स्कूल स्टाफ़ के किसी सदस्य से मिलें।
- सलाह और निर्देशन के लिए एज्युकेशन वेल्फ़ेयर सर्विस से मिलें (संपर्क करने के लिए नंबर पिछली तरफ़ हैं)।
- अपने बच्चे के लिए समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है और समस्या को सुलझाने में उनकी मदद करें।

शिक्षा उनकी भविष्य की सफलता की कुंजी है इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि जितनी जल्दी हो सके, मुद्दों का समाधान निकाला जाए।

“मुझे यह पत्रिका क्यों भेजी जा रही है?”

यह पत्रिका प्रत्येक माता/पिता/देखभाल करने वाले को भेजी जा रही है ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इस बारे में जानकारी हो कि उनके बच्चे को सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से और समय पर स्कूल जाना ज़रूरी है।

यह महत्त्वपूर्ण है कि माता–पिता और देखभाल करने वाले अपनी ज़िम्मेदारियों और अपने बच्चे की स्कूल से अनधिकृत गैरहाज़िरी के परिणामों को समझें।

“यदि मेरा बच्चा स्कूल नहीं गया है तो मुझे क्या करना चाहिए?”

बच्चे की गैरहाज़िरी की पहली ही सुबह कारण बताने के लिए जितनी जल्दी संभव हो सके, स्कूल को टेलिफ़ोन करें।

दाँतों के डॉक्टर या दूसरे डॉक्टर के साथ नियमित अप्वाइंटमेंटें स्कूल के बाद या छुट्टियों के दौरान रखें। यदि आपको स्कूल के समय के दौरान कोई अप्वाइंटमेंट रखनी पड़ती है तो दिन के अधिकतर समय स्कूल में रहने में अपने बच्चे की मदद करें और स्कूल को अप्वाइंटमेंट के बारे में जानकारी दें।

यदि आपका बच्चा बीमारी के कारण या दाँतों संबंधी/मेडिकल अप्वाइंटमेंटों के कारण नियमित रूप से गैरहाज़िर रहता है तो आपसे एक मेडिकल सर्टिफ़िकेट या अप्वाइंटमेंट कार्ड माँगा जा सकता है।

“यदि में छुट्टी पर जाना चाहता/चाहती हूँ तो?”

सामान्य तौर पर सत्र के दौरान छुट्टियाँ नहीं दी जाती हैं। असाधारण परिस्थितियों में हेडटीचर से अनुमति लें और स्कूल की नीति देखें।